

भारतीय संविधान (नवत्य-चौथ-संशोधन) अधिनियम, 2006

(प्रेस अधिनियम संख्या 28, सत्र 2006, अनुच्छेद 4, भाग 500)
भारतीय संविधान (नवत्य-चौथ-संशोधन) अधिनियम, 2006, "संविधान, संशोधन अधिनियम संख्या 28, सत्र 2006" के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग "बिहार" के स्थान पर "छत्तीसगढ़, झारखंड" का उल्लेख किया गया है।

THE CONSTITUTION (NINETY-FOURTH-AMENDMENT) ACT, 2006
AN
Act

(As passed by the Houses of Parliament)
Further to amend the Constitution of India

Be it enacted by Parliament in the Fifty -seventh Year of the Republic of India as follows:

- Short title:** (1) This Act may be called the Constitution (Ninety-fourth Amendment) Act, 2006.
- Amendment of article 164:** In article 164 of the Constitution, in clause (1), in the proviso, for the word "Bihar", the words "Chhattisgarh, Jharkhand" shall be substituted.

प्रेस अधिनियम संख्या 28, सत्र 2006 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 के

जंशुद्धि अधिनियम, 2006

संविधान (नवत्य-चौथ-संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 के

अनुच्छेद 1 के भाग "बिहार" के स्थान पर "छत्तीसगढ़, झारखंड" का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान (नवत्य-चौथ-संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 के